हलचल

बाल पत्रिका

अंक–7, जुलाई–अगस्त 2010

हमारे काम के बारे में.....

एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है
शर्त ये है कि सलीके से संवारा जाये।

किसी शायर की लिखी हुई ये लाईनें जीवोदय जैसे समूह पर सटीक बैठती हैं। वे बच्चे जिनको समाज ने पहले ही नकार दिया हो, उनको संवारना एवं उनके बेहतर जीवन के लिये प्रयास करना जीवोदय के काम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जीवोदय उन बच्चों के लिये काम करता है जो विभिन्न कारणों से घर छोड़कर अपना जीवन जी रहे हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म ही इनका घर है।

संस्था की शुरुआत सन् 1999 में इटारसी के रेलवे प्लेटफॉर्म से हुई थी। आज ये संस्था मध्यप्रदेश के इटारसी शहर में कार्यरत् है। जब इस काम की शुरुआत हुई थी तब संस्था के साथियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि हमारे समाज में ऐसे बच्चों के विकास के लिये काम करने की ये एक नयी अवधारणा थी। समुदाय के लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने में एवं इस तरह के बच्चों की मनोस्थिति समझने में संस्था के साथियों को काफी समय लगाना पड़ा। लेकिन आज स्थिति बिलकुल फरक है। अब इटारसी एवं आसपास के लोग इस काम को काफी सकारात्मक नजरिये से देखते हैं।

जीवोदय के साथी मानते हैं कि जो बच्चे बहुत अव्यवस्थित जिंदगी जी रहे हैं उन्हें भी बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिये। यही सोचकर कुछ साथियों ने संस्था की बुनियाद रखी। आज ये बुनियाद मजबूत भवन के रुप में हम सबके सामने है।

संस्था अपने तीन प्रोजेक्टों की सहायता से काम कर रहा है। जो इस प्रकार हैं-

समयोग :

जीवोदय की ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें हर दिन लगभग 35 बच्चे आते हैं। इस परियोजना के माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है। साथ ही उन्हें प्लेटफॉर्म छोड़ने एवं नयी जिंदगी के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। अगर बच्चा

हलचल

बाल पत्रिका
अंक-7, जुलाई-अगस्त,2010

इस अंक में.....

चिट्ठी	2
रोटी का पेड़	3
अर्जुन की बातें	4
कुछ हमने लिखा, कुछ तुम जोड़ो	5
रक्षाबंधन का त्योहार	6
पंद्रह अगस्त और हमारी तैयारी	7
इस बार की बातें	8–9
अरे ! ये तो होते ही रहता है	10—11
कुछ अधिकारों की बातें	12–20

संपादन एवं डिजायन :	ज्योति दीवान
संपादक मंडल :	विक्रम चौरे, मेघा कूजूर
तकनीकी सहयोग :	लिपिन पीटर
मुख्यपृष्ठ :	बॉबी, कक्षा-तीसरी
प्रकाशक :	सिस्टर क्लारा, जीवोदय संस्था, जनता टॉकीज के पीछे इटारसी-फोनः 07572—236191 ईमेल—jeevodaya1999@rediffmail.com
मुद्रक :	अनिल प्रिंटिंग प्रेस, इटारसी

प्रिय दोस्तों,

नमस्ते,

कैसे हो तुम सब? पढाई के साथ-साथ और क्या मजे चल रहे हैं? हलचल तो तुम लगातार पढ़ते ही होगे, है न? इसमें तुम्हें कौन-कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा कि अरे यार ! इस बार हलचल में ज्यादा मजा नहीं आया, है न? इस बारे में हलचल को लिखकर बताओ कि हलचल की किन बातों में तुम्हें मजा आया और कौन सी बातें अच्छी नहीं लगीं।

क्या तुम जानते हो कि एक बेहतर समाज बनाने के लिये इंसानों ने अपने कुछ अधिकार विकसित किये हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकार सिर्फ बड़ों को ही मिलते हैं हम बच्चों को भी कुछ अधिकार मिले हैं। लेकिन कभी-कभी उन्हें पाने के लिये हमें संघर्ष भी करना पड़ता है। इस बार हम अपने कुछ अधिकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे।

इसके अलावा और भी मजेदार बातें हैं जो हलचल में पढ़ने को मिलेंगी। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगेंगी।

इसी उम्मीद के साथ-

आपकी दोस्त

हलचल

रोटी का पेड़

पेड़ पर लगी है रोटी
सुबह-सुबह रोटी उठाते
रोज बीनकर रोटी खाते।
रोज सुबह रोटी गिरती,
रोटी खाने में अच्छी लगती,
रोटी एक अनाज है।
गेंहू से रोटी बनती,
पेड़ पर रोज रोटी उगती है,
सबको रोटी अच्छी लगती है।
जो लड़के दिख रहे हैं
उनको भी अच्छी लगती
रोज सुबह रोटी के पेड़ को देखते है।
पेड़ पर लगती है रोटी
मुझे बहुत अच्छी लगती है।
क्या आप को भी
अच्छी लगती है रोटी?

नाम सूमरतल
कक्षा चौथी

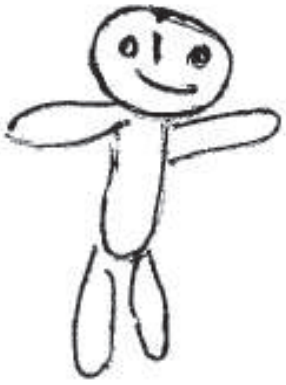

अर्जुन की बातें

मेरा नाम अर्जुन है। एक बार मैं अपने घर बड़े भाई की शादी में गया था। मैं वहां बहुत खुश था। शादी में मैने मिठाई, रसगुल्ले, पुड़ी और खीर भी खायी थी। शादी में मैंने बहुत मस्ती की थी।

मेरे घर के सामने एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत बदमाश था। वो अपने नौ साल के बेटे से नदी से पानी मंगवाता था। और उसके लड़के से पानी लाते नही बनता था। ये देखकर मुझे यह अच्छा नहीं लगा।

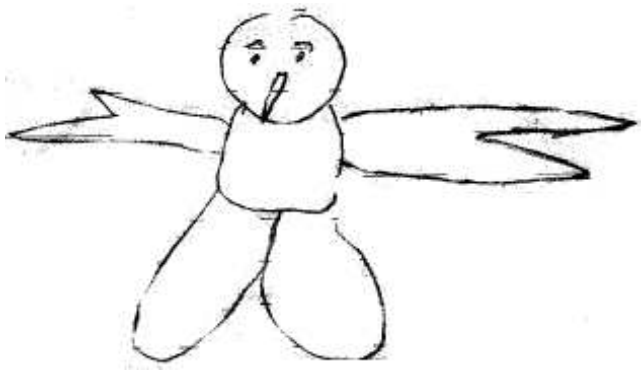

नाम अर्जून
कक्षा चौथी

कुछ हमने लिखा, कुछ तुम जोड़ो

दो चीटी थीं। वे बहुत पक्की सहेलियां थीं। एक चींटी का नाम सीता और दूसरी चींटी का नाम गीता था। एक दिन सीता नाम की चींटी एक लड़के के पैर के नीचे आकर मर गयी। दूसरी चीटी उसको अपने मुंह से उठाकर उसके घर लेकर गयी, और.....।

मनीषा
कक्षा सातवीं

आगे की कहानी अब तुम लिखो। और हां, कहानी बन जाये तब हलचल को भी बताना।

रक्षाबंधन का त्योहार

24 अगस्त 2010 को रक्षाबंधन का दिन था। इस दिन हम सभी बच्चे सुबह 9 बजे जीवोदय से आदमगढ़ की पहाड़ी के लिये रवाना हुए। वहां सबसे पहले थोड़ी देर हम सभी चट्टानों पर इधर-उधर घूमे। उसके बाद हम सभी एक जगह बैठ गए।

फिर हमारा कार्यक्रम शुरु हुआ। सबसे पहले बड़े बच्चो ने एक नाटक किया। उसके बाद छोटे बच्चों ने डांस किया। उसके बाद लड़कियों को पर्ची उठाने को कहा। पर्ची में जिस भाई का नाम आया उस भाई को लड़की ने तिलक लगाया और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। सब भाईयों ने बहनों के पैर पड़े और इस कार्यक्रम को खत्म किया। उसके बाद हम सबने खेल खेले, फिर थोड़ा घूमे और हम सभी वापस घर आ गए।

नाम अनिल
कक्षा सातवी

15 अगस्त और हमारी तैयारी

15 अगस्त के एक दिन पहले शाम को सब कुछ तैयार किया। रांगोली

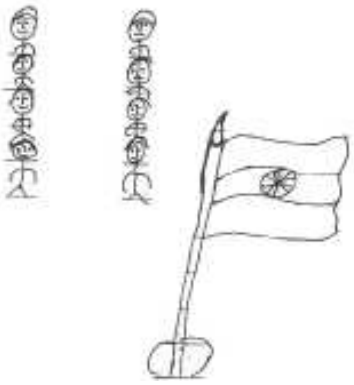

डाली। जीवोदय के गेट के सामने स्वागतम् लिखा। उसके बाद हम सबने ने सर की मदद लेकर लाईन बनायी। सर ने सुबह-सुबह झंडा लगाया।

सभी बच्चे सुबह 6 बजे उठ गये थे। सबने मंजन किया और सभी नहाये भी। इसके बाद सब तैयार हुए और सबने मोजे-जूते पहनकर लाईन में जन-गण-मन गाया। डॉ. दयाल इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने झंडा फहराया।

इसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। और अंत में सबने खाना खाया। उस दिन खाने में हम सभी ने मिठाई खायी। खाना खाने के बाद हम सब स्कूल गए और स्कूल के कार्यक्रम में भी भाग लिया।।

नाम सुमरतल
कक्षा चौथी

इस बार की बातें

इस महीने की शुरुआत में हमने साल भर की कार्य योजना की रणनीति तैयार की। इसके अंतर्गत् हर काम की जिम्मेदारी कार्यकर्त्ताओं के बीच बांटी गयी।

इस साल की शुरुआत में ही हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस साल में हम पहली बार प्लेटफॉर्म की महिलाओं और उनके परिवारों के साथ कार्य कर रहे हैं। काम के दौरान ही हमने प्लेटफॉर्म पर रहने वाली 3 महिलाओं को प्रोत्साहित करके परिवार नियोजन के लिये तैयार किया। साथ ही साथ सरकार से उन्हें 600 रु. का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस पूरे काम में जीवोदय की कार्यकर्ता नाज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले महीने समूह से जुड़ी गुड्डी नाम की महिला के पति का देहांत हुआ था। उसे पति का मृत्यु प्रमाणपत्र दिलवाया। वर्तमान में उसे विधवा पेंशन दिलवाने के लिये प्रयास चल रहे हैं। उसके अलावा गुड्डी के पति पर चलनेवाले सारे केस सरकार ने बंद कर दिये। इसके अलावा स्पार्क परियोजना से चार लड़कों का चयन बॉलीबाल टूर्नामेंट में हुआ, चिराग परियोजना की दो लड़कियां अपने स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मंत्री मनोनीत हुई है। साथ ही बच्चों ने 15 अगस्त, रक्षाबंन्धन का त्योहार भी धूमधाम से मनाया। रक्षाबंधन के त्योहार पर बच्चों ने अपने हाथों से राखी बनाई

व और चेरिटी के लिये पैसा एकत्रित किया।

इसके अलावा चिराग व स्पार्क परियोजना के बच्चों को राखी के दिन होशंगाबाद की पहाड़ियों में घुमाने ले गये जहां बच्चों ने इन पहाड़ियों के इतिहास के बारे में जाना और खूब मस्ती की।

अगस्त की 30 व 31 को जे.जे एक्ट के बारे में जीवोदय में एक कार्यशाला का आयोजन करने की योजना है जिसमें हम ने सभी स्थानीय एन.जी.ओ. मीडिया सी.ड़ब्लु.सी, आर.पी.एफ, जी.आर.पी.एफ., सिटी पुलिस, एसपी, एस.जे.पी.यू के सभी सदस्यों को आमत्रित किया गया।

मेघा कुजुर

मेघा जीवोदय संस्था में पिछले दो सालों से काम कर रही हैं।

क्या तुम जानते हो?

अप्रैल 2010 से हमारे देश में एक कानून लागू हुआ है जिसके अनुसार 6 से 14 साल के हर बच्चे को चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समाज का या फिर अमीर-गरीब कोई भी हो उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी।

अरे! ये तो होते ही रहता है

छोटू और बंटी दोनों रोज की तरह सड़क के उस पार खेलने गए। घर के पास ही सड़क के दूसरी ओर एक बड़ा सा मैदान था। जिसमें आसपास के बच्चे रोज खेलने आते थे। दोनों को आज खेलते-खेलते बहुत देर हो गई। अंधेरा होने लगा। छोटू ने कहा, ''भैया, रात होने वाली है घर चलें, नहीं तो मम्मी डांटेंगी। बंटी ने कहा, ''ठीक है।'' वे दोनों घर की ओर चल दिए। छोटू आगे-आगे और बंटी पीछे-पीछे।

छोटू ने सड़क पार कर ली, वो अपनी धुन में था, लेकिन सड़क पार करके जब उसने पीछे देखा तो बंटी भैया सड़क के बीच में पड़े हुए थे। छोटू, बंटी भैया के पास गया और भैया को कहने लगा, ''भैया जल्दी उठो, जल्दी घर चलो।'' मगर ये क्या, छोटू के बार-बार कहने पर भी भैया तो उठ नहीं रहे थे, मानों उन्हें नीद लग गई हो। अब तो छोटू को रोना आने लगा। छोटू ने भैया को खींचकर सड़क के पार ले जाने की कोशिश की। भैया बहुत भारी थे, छोटू खींच नहीं पाया।

सड़क बहुत चलती थी। आखिर यह होशंगाबाद और इटारसी के बीच बनी हाईवे सड़क जो थी, जहां पल-पल पर ट्रक आते रहते थे। छोटू जैसे ही सड़क पर कोई गाड़ी आते देखता तो रोते-रोते किनारे की ओर भाग जाता। आखिर सभी को अपनी जान तो प्यारी होती ही है। गाड़ी के निकलते ही वह भैया के पास आकर उठने और घर चलने का कहने लगता।

ये सब थोड़ी ही देर चला कि अचानक एक ट्रक आया और उसने ये सिलसिला खत्म कर दिया। बंटी के शरीर का उसने कचूमर निकाल दिया। छोटू का यह सब देखकर क्या हाल हुआ होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। दरअसल,

बंटी की मौत तो पहले ही हो चुकी थी जब वह एक कार से टकरा गया था। लेकिन उसके शरीर में कोई चोट नहीं थी। इसलिए छोटू को ऐसा नहीं लगा कि भैया मर गए हैं। वैसे भी जब कोई अपना मर जाता है और उसका मृत शरीर सामने होता है तो उसकी मौत का विश्वास करना मुश्किल से हो पाता है। छोटू की जैसी भी हालत थी वह अपने बड़े भैया को छोड़कर घर चला गया। अब उसे भैया के मरने का विश्वास हो गया था।

मैंने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। आप सोच रहे होंगे कि फिर मैने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, और छोटू की मदद क्यों नहीं की? मैं ये सब कर तो देता लेकिन मुझे पता नहीं कि एक नेवले की दुर्घटना में मौत हो जाने पर किस पुलिस स्टेशन में रपट करना चाहिए?

मुझे पता था कि एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल इंसान के इलाज होने में तो घंटों लग जाते हैं। फिर यह तो एक जानवर था। क्या इंसान इसे गंभीर रुप से लेते। यदि इंसान को इसे गंभीर रुप से लेना होता तो सड़क पर पड़े हुए नेवले को दूसरी गाड़ी आकर बुरी तरह उसका कचूमर न बनाती। इंसानों ने हमेशा चाहा है कि जानवर उसका कहना माने उसकी सेवा करे। लेकिन हाइवे 69 पर पड़े हुए जानवरों के कचूमर किए हुए शरीर को देखकर लगता है कि इंसानों को तो बस दौड़ में जीतने की होड़ लगी है। चाहे इसके पीछे कितने ही जानवर मारे जाऐं। वे उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते।

विकम चौरे

विकम पिछले दो सालों से जीवोदय में कार्य करते हैं।

कुछ अधिकारों की बातें

तुम्हें याद है कि हलचल के पिछले अंक में हमने अब्दुल और रमन्ना के बारे में एक कहानी छापी थी। क्या तुमने सोचा कि अब्दुल को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिये थे? या इस घटना में उसकी मौत के बाद उसके परिवार को किस तरह के अधिकार थे? और वे इन अधिकारों को पाने के लिये क्या-क्या कर सकते थे?

इंसान होने के नाते हम सबको कुछ अधिकार मिलने चाहिये। दुनियाभर के देशों में बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी कुछ अधिकार मिले हैं। जिनके बारे में इस बार हम चर्चा करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार उन देशों की सरकारें देती हैं। इनको पाने के लिये अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मंच बने हैं। इन्ही में से एक मंच है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस मंच में लगभग 193 देश शामिल हैं। नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने मंच से जुड़े सभी देशों को संबोधित करते हुए कहा था कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिये एक अंर्तराष्ट्रीय सहमति बननी चाहिये। इस बात पर सहमति बनी भी। 1992 में भारत ने भी इस बात पर सहमति जताई और नीचे दिये गये समझौते पर हस्ताक्षर किये।

✡ **बच्चे की परिभाषा :** 18 साल से कम उम्र के सभी व्यक्ति, बशर्ते कानून में इससे कम उम्र में व्यस्कता का प्रावधान न हो।

✡ **भेदभाव से मुक्ति :** सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सभी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। शासन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को हर प्रकार के भेदभाव से संरक्षण दे। इसके साथ ही शासन को भी किसी भी तरह अधिकारों का अल्लंघन नहीं करना चाहिये। इन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक कदम उठाये जाने चाहिये।

✡ **बच्चे का सर्वोत्तम हित :** बच्चे से जुड़ी सभी कार्यवाहियों में उसके सर्वोत्तम हित का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। जब माता-पिता या उसकी देखभाल करनेवाले अन्य जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा न करें तो उसकी उपयुक्त देखभाल का दायित्व शासन पर है।

✡ **अधिकारों पर अमल :** बाल अधिकारों के लिये समझौते में दिये गये अधिकारों के अमल का पूरा दायित्व शासन पर है।

✡ **माता-पिता का मार्गदर्शन और बच्चे की विकसित होती क्षमताएं :** बच्चों को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिये सहीं दिशा और मार्गदर्शन देने के माता-पिता या विस्तारित परिवार के अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना शासन की जिम्मेदारी है।

✡ **जीवन रक्षा और विकास :** जीवित रहना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चे की अधिकतम जीवनरक्षा और उसका बेहतर विकास शासन की जिम्मेदारी है।

✡ **नाम और राष्ट्रीयता :** हर बच्चे को चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समाज का हो, उसे जन्म से ही नाम और राष्ट्रीयता पाने का हक है।

✡ **पहचान का संरक्षण :** शासन का ये दायित्व है कि वो किसी भी बच्चे की पहचान के बुनियादी तत्वों-नाम, राष्ट्रीयता और पारिवारिक संबंधों को संरक्षण दे और जरुरत पड़ने पर इन्हें पुर्नस्थापित भी करे।

✡ **माता-पिता से अलगाव :** बच्चों का यह अधिकार है कि वे अपने माता-पिता के साथ रहे। अगर ये उनके हित के विरुद्ध न हो। माता-पिता में से किसी एक या दोनों से अलग होने पर दोनों के साथ संपर्क रखे। साथ ही अगर शासन की किसी कार्रवाई के दौरान उसे अपने माता-पिता से बिछड़ना पड़े तो शासन उसे उसके माता-पिता के बारे में सही और पूरी जानकारी दे।

✡ **परिवार से फिर मिलना :** बच्चों और उनके माता-पिता को ये अधिकार है कि वे किसी भी देश को छोड़कर चले जायें। और फिर मिलने के लिये या बच्चे और माता-पिता का संबंध रखने के लिये अपने देश में प्रवेश कर जायें।

✡ **अवैध हस्तांतरण और वापसी न होना :** यह कोशिश करना शासन का दायित्व है कि माता-पिता या कोई और बच्चों का अपहरण कर उन्हें किसी और देश में न ले जायें। या वहां जबरन रोककर न रखें अगर ऐसा होता है कि शासन उसे वापस लाये।

✡ **बच्चे की राय:** बच्चे को अपनी राय प्रकट करने या अपने से जुड़े किसी भी मामले या प्रक्रिया में अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।

✡ **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** बच्चों को सूचना पाने और उसका प्रसार कराने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। बशर्ते कि इससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न होता हो।

✡ **विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता:** बच्चे को माता-पिता की उपयुक्त देखरेख और राष्टीय कानून के अनुसार विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है।

✡ **संगठन बनाने की स्वतंत्रता :** बच्चे को दूसरों से मिलने-जुड़ने या संगठन बनाने का अधिकार है। बशर्ते इससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न होता हो।

✡ **गोपनीयता का संरक्षण :** बच्चे को अपनी गोपनीयता, परिवार, घर और पत्र-व्यवहार में हस्तक्षेप और बदनामी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

✡ **उपयुक्त सूचना की सुलभता :** मीडिया का ये कर्त्तव्य है कि बच्चों के लिये सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लाभकारी सूचना और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करनेवाली जानकारी उन्हें उपलब्ध करायी जाये। बच्चों के लिये उपयोगी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने और

बच्चों को नुकसानदेह सामग्री से बचाने के लिये कदम उठाने का दायित्व शासन का है।

✡ **दुरुपयोग और उपेक्षा से संरक्षण :** शासन का दायित्व है कि वह बच्चों को माता-पिता या उनकी देखभाल के लिये जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के हाथों सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करे और इस बारे में एहतियाती कदम उठाये। तथा उपचार के कार्यक्रम चलाये।

✡ **परिवार विहीन बच्चों का संरक्षण :** शासन का दायित्व है कि पारिवारिक माहौल से वंचित बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जाये। और बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसके लिये उपयुक्त वैकल्पिक पारिवारिक देखभाल या संस्थागत संरक्षण की व्यवस्था की जाए।

✡ **गोद लेना :** जिन देशों में बच्चों को गोद लेने की मान्यता या अनुमति है वहां यह काम बच्चे के सर्वोत्तम हित में ही किया जायेगा। और उस बच्चे के लिये सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं अपनायी जायेंगी। तथा सक्षम अधिकारियों से अनुमति ली जायेगी।

✡ **शरणार्थी बच्चे :** उन बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जायेगा जो शरणार्थी हैं या शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं। इस तरह का संरक्षण और सहायता देने वाले सक्षम संगठनों की मदद करना शासन की जिम्मेदारी है।

✡ **अक्षम बच्चे :** अक्षम बच्चों को ऐसी विशेष देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण पाने का अधिकार है जिससे वे अधिकतम संभव स्तर तक आत्मनिर्भर बन सकें। और समाज में पूर्ण सक्रिय जीवन बिता सकें।

✡ **स्वास्थय और स्वास्थय सेवाऐं :** बच्चे को सर्वोत्तम स्वास्थय और चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार है। शासन का यह दायित्व है कि वो खतरनाक परंपराओं को मिटाये। इस अधिकार को पक्का करने के लिये अंर्तराष्टीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

✡ **संस्थाओं में रखे गये बच्चों की सावधिक समीक्षा :** शासन अगर किसी बच्चे को देखभाल, संरक्षण या उपचार के लिये किसी संस्था में रखता है तो इस कार्रवाई के सभी पहलुओं की नियमित समीक्षा कराना बच्चे का अधिकार है।

✡ **सामाजिक सुरक्षा :** बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है।

✡ **रहन-सहन का स्तर :** बच्चों को उपयुक्त रहन-सहन पाने का अधिकार है। यह स्तर उपलब्ध कराना माता-पिता की बुनियादी जिम्मेदारी है और शासन का दायित्व है कि माता-पिता को ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिये समर्थन दे।

✡ **शिक्षा एवं शिक्षा का उद्देश्य :** किसी भी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। शासन का कर्त्तव्य है कि कम से कम

प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये। साथ ही स्कूल के ढांचे में बच्चे की मानवीय गरिमा का ध्यान भी रखा जाये। इसके साथ ही शासन को ये समझना चाहिये कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की प्रतिभा और व्यक्तित्व का विकास उसके बड़े होने पर सक्रिय जीवन के लिये तैयार करना, बुनियादी मानव अधिकारों के प्रति सम्मन को बढ़ावा देना और बच्चे को अपनी तथा दूसरों को सांस्कृतिक और राष्टीय मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना होना चाहिये।

✡ **अल्पसंख्यकों और मूल निवासियों के बच्चे :** अल्पसंख्यकों समुदायों और मूल निवासियों के बच्चों को अपनी संस्कृति और धर्म तथा भाषा को अपनाने का अधिकार है।

✡ **आमोद-प्रमोद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां :** बच्चों को आमोद-प्रमोद, खेलकूद और सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार है।

✡ **बाल मजदूरी :** शासन का ये दायित्व है कि बच्चों के स्वास्थय, शिक्षा और विकास के लिये खतरनाक काम से उन्हें संरक्षण प्रदान करे, रोजगार की न्यूनतम आयु तय करे, और रोजगार की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखे।

✡ **नशीले पदार्थों का दुरुपयोग :** बच्चे को मादक और नशीले पदार्थों के उपयोग और उनके उत्पादन या वितरण में भागीदारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

✡ **यौन शोषण :** बच्चे को वेश्यावृत्ति और अश्लील सामग्री के उत्पादन में भागीदारी सहित हर प्रकार के यौन शोषण और दुरुपयोग से संरक्षण पाने का अधिकार है।

✡ **बिक्री, व्यापार और अपहरण :** बच्चों को बिक्री, व्यापार और अपहरण रोकने के हर संभव प्रयास करना शासन का दायित्व है।

✡ **यातना और स्वतंत्रता छीनना :** यातना, क्रूरता, शारीरिक सजा या आजीवन कारावास की सजा बच्चें को देना मना है। बच्चों की गिरफ्तारी या उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी कम से कम समय के लिये और अंतिम विकल्प के रुप में लगायी जानी चाहिये। बच्चों को उपयुकत व्यवहार पाने दूसरे बड़े कैदियों से अलग कानूनी तथा इअन्य सहायता पाने का अधिकार हैं।

✡ **सशस्त्र संघर्ष और पुनर्वास देखभालः** शासन का ये दायित्व है कि बच्चों पर लागू होने वाले मानवीय कानून का स्वयं सम्मान करे और दूसरों से भी सम्मान करवाये। 15 साल से छोटे किसी भी बच्चो को संघर्ष में सीधे भाग नहीं लेना और न ही सशस्त्र सेना में भर्ती किया जाना चाहिये। इस तरह की घटनाओं से प्रभावित बच्चों को पुनर्वास, संरक्षण और देखभाल तुरंत मिलना चाहिये।

✡ **किशोर न्याय व्यवस्था :** किसी अपराध के दोषी या आरोपी बच्चों को अपने मानव अधिकारों को सम्मान कराने और विशेष रुप से कानूनी प्रक्रिया के सभी पहलुओं का लाभ पाने का अधिकार है। इसमें अपने बचाव के लिये कानूनी या अन्य सहायता पाना शामिल है।

✡ **मौजूदा मानकों का सम्मान :** यदि राष्टीय कानूनों या अंतर्राष्टीय दस्तावेजों में निर्धारित कोई मानदंड इस समझौते के प्रावधानों से उंचा है तो उसे लागू समझा जाना चाहिये।

✡ **समझौते का कियानवयन एवं प्रचार :** शासन का ये दायित्व है कि इस समझौते में शामिल सभी अधिकारों से बच्चों एवं बड़ो को अवगत कराये।

इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो बच्चे को मिलने ही चाहिये। लेकिन हमारे देश में आज भी बच्चों से उनके मत नहीं जाने जाते कि वे आखिर चाहते क्या है।

दूसरी बात ये कि इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये बहुत सारे कानून भी बनाये गये है। आगे के अंकों में हम ऐसे ही कुछ कानूनों के बारे में बात करेंगे।

ज्योति दीवान

आपकी बातें

हलचल के अंक 5 में छपी ''मेरी कहानी'' बच्चें पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। कहानी अपने अंत तक नहीं पहुंची है ऐसी कहानियां बच्चों की पत्रिका में छपना ठीक नहीं।

आरती पांडे–राइल्ड राईट आब्ज़रबेटरी, भोपाल

हमारी बात

हलचल पत्रिका बच्चों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। बच्चे अपनी बातें जिस भाषा में और जिस रुप में हमें उपलब्ध कराते हैं हम उनकी बातों को बिना अर्थ बदले इस पत्रिका में छापते हैं।

.....हमारे काम के बारे में

कुछ नया काम सीखना चाहता है तो उसे यवसायिक प्रशिक्षण एवं उसके लिये काम की गुंजाइश ढूंढी जाती है।

स्पार्क :

स्पाक में ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके परिवार नहीं हैं या जो किसी कारणवश घर नहीं जाना चाहते। ऐसे सारे बच्चों के लिये स्पाक एक पुर्नवास स्थल है यहां बच्चे रहते हैं। उनकी रोज की जरुरतें पूरी की जाती हैं और उन्हें स्कूल भी भेजा जाता है।

चिराग :

जीवोदय का ये परियोजना किशोरियों के पुनर्वास के लिये एक आश्रय स्थल है। यहां रहने वाली लड़कियां विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ स्कूल भी जाती हैं। यहां पर लगभग 15–20 लड़कियां रहतीं हैं।

हलचल पत्रिका भी इन बच्चों को अपनी बात रखने के लिये एक मंच का काम करेगी। साथ ही हमारा आपसे संवाद का माध्यम भी बनेगी।

इसी उम्मीद के साथ

सिस्टर क्लारा

रेल चली भई रेल चली
किसिम-किसिम की रेल चली